



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/NOC/2012/475/2757

Date : 03-12-2012

M/s Rudra Buildwell Homes Pvt. Ltd
H-171, Sector-63, Noida-201301
U.P.

SUBJECT - **NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)**

Sir,

Please refer to your letter no Nil Dated 07-11-2012 on the subject mentioned above.

This office has no objection to the proposed Construction of Group Housing by M/s Rudra Buildwell Homes Pvt. Ltd. herein after referred to as the applicant(s) at location Plot No-05A, Sector-16, Greater Noida, U.P (Co-ordinates - 28 36 15 N 77 27 42 E) for a height of 93.00 Mts. (in Figure) Ninety Three Decimal Zero Meters (in words) above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed 210.00 Mts (In figure) Two Hundred Ten Decimal Zero Meters (site elevation) plus(+) 93.00 Mts (In figure) Ninety Three Decimal Zero Meters (height of structure) = 303.00 Mts. (In figure) Three Hundred Three Decimal Zero Meters above mean sea level .

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) viz 210.00 Mts. relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARP/ Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India (National Airports Division) to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of five years from the date of issue. if the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of five years, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India(National Airports Division) and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region. The date of completion of the building/ structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures (eg. Wireless, TV antennas, mummies, lift machine room, overhead water tank cooling towers etc.)"

NOTE:- THE SITE IS EXAMINED W.R.T IGI AIRPORT AND SAFDARJUNG AIRPORT ONLY.

(AJAY SHIVA)
Jt. GENERAL MANAGER (ATM)/NR

- Copy to:-
1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D
 2. Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, International T-3, Opp. ATS Complex, IGI Airport, New Delhi- 37.
 3. The Chief Architect Town Planner, Noida 169, Chitvan Estate, Sec- Gamma-II Greater Noida -201308
 4. GM, Carto Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D.

Jt. GENERAL MANAGER (ATM - NOC)/NR

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस लखनऊ।
 पत्रांक:आर-22/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-14 (गौत0) 76 दिनांक:मार्च 12, 2014
 सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,
 गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स रुद्रा बिल्डवैल होम्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-05 ए0 सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित "एक्वा कासा" ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 07-03-2014 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 08-03-2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानके के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानके के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

प्लॉट एरिया-43,137.850 वर्ग मी0 जिसका पूर्व में प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से अपने पत्र संख्या:भ-46/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-13 (गौत0)/259 दिनांक:26-02-2013 के माध्यम से निर्गत किया गया है तथा वर्तमान में एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर		तलों की संख्या		भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0		ऊँचाई मी0 में	
	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	टावर-01	टावर-01	बेस, पाडियम एवं 19	बेस, पाडियम एवं 19	575.518	558.694	63.300	57.40
2	टावर-02	टावर-02	बेस, पाडियम एवं 19	बेस, पाडियम एवं 19	575.518	558.752	63.300	57.40
3	टावर-03	टावर-03	बेस, पाडियम एवं 19	बेस, पाडियम एवं 19	513.182	417.603	63.300	57.40
4	टावर-04	टावर-04	बेस, पाडियम एवं 20	बेस, पाडियम एवं 20	604.833	588.799	69.150	63.30
5	टावर-05	टावर-05	बेस, पाडियम एवं 20	बेस, पाडियम एवं 20	602.277	587.295	69.150	63.30
6	टावर-06	टावर-06	बेस, पाडियम एवं 20	बेस, पाडियम एवं 20	604.833	577.358	69.150	63.30
7	टावर-07	टावर-07	बेस, पाडियम एवं 20	बेस, पाडियम एवं 20	604.833	588.799	69.150	63.30
8	टावर-08	टावर-08	बेस, पाडियम एवं 20	बेस, पाडियम एवं 20	602.277	587.295	69.150	63.30
9	टावर-09	टावर-09	बेस, पाडियम एवं 20	बेस, पाडियम एवं 20	604.833	588.799	69.150	63.30
10	टावर-10	टावर-10	बेस, पाडियम एवं 19	बेस, पाडियम एवं 19	513.182	418.437	63.300	57.40
11	टावर-11	टावर-11	बेस, पाडियम एवं 19	बेस, पाडियम एवं 19	513.182	417.603	63.300	57.40
12	टावर-12	टावर-12	बेस, पाडियम एवं 19	बेस, पाडियम एवं 19	575.518	558.752	63.300	57.40
13	टावर-14	टावर-14	बेस, पाडियम एवं 19	बेस, पाडियम एवं 19	575.518	558.694	63.300	57.40
14	टावर-15	टावर-15	बेस, भूत0, काम0 02	बेस, भूत0, काम0 09	99.314	509.267	27.750	34.60
15	—	टावर-16	—	बेस, पाडियम एवं 25	—	944.441	—	81.90
16	—	टावर-17	—	बेस, पाडियम एवं 25	—	944.441	—	81.90


 संयुक्त निदेशक
 फायर सर्विस मुख्यालय
 ए.प्र.०, लखनऊ


 CONTROLLER OF

17	—	टावर-18	—	बेस, पाडियम एवं 20	—	418.437	—	63.30
15	कन्वीनियन्ट शापि0	भूतल एवं 03			460.637		12.00	
16	कम्यूनिटी	भूतल एवं 01			781.193		08.00	
17	बेसमेन्ट	38,250.289		38,014.313				

भवन का अधिभोग विवरण:-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 60, 45 एवं 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है, प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 1.5 एवं 1.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में 2,00,000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास अग्निशमन कार्य हेतु 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का 02 अदद में विद्युत चालित पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3-टेरिस टैंक: समस्त टावरों की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4-टेरिस पम्प: शापिंग एवं कम्यूनिटी टावर की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-होजरील मय डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं आई0एस0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण टावरों व पूरे भवन के बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- टावरों में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 वं अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।


 प्रमुख अधिकारी
 फायर साफ़्टी सुभाग
 ४.५.२०२२

brijly
 CONTROLLED COPY

- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन मे एक बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 12-एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 13-हैलीपैड:- 60 मीटर से ऊँचे टावरों की टेरिस पर हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0-10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।
- 14-प्रशिक्षित स्टाँफ:- प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाँफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
- अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स रुद्रा बिल्डवैल होम्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0-जी0एच0-05 ए0 सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित " एक्वा कासा" ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वत किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0के0ए0)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0 लेखनक
२०२०, लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स रुद्रा बिल्डवैल होम्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0-जी0एच0-05 ए0 सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।

CONTROLLED COPY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)

Faculty of Engineering and Technology

Maulana Mohamed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
Tel.: 26985227, 26981717 Ext.2310, 2312, 2313 Tele Fax:26981261

Department of Civil Engineering



DATED: 14/03/2014

Proof checking of structural design of '**Proposed Group Housing**' at Plot No. GH-05A, Sector – 16, Greater Noida --- for *M/s Rudra Buildwell Homes (P) Ltd.*

The design and drawings submitted by *Ajay Sahni from M/s BMSF Design Consultants Pvt. Ltd.* for '**Proposed Group Housing**' at Plot No. GH-05A, Sector – 16, Greater Noida, are approved. The design conforms to relevant IS Codes.


Dr. KHALID MOIN
(PROFESSOR)

by
CONTROLLED COPY